

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... यहायतु बलमरु एवं S.O.O मुकाम... वायतु

..... वाणाराम बनाम इमरती वगैरा

किस्म मुकदमा वा. फा. 111, 128 PCRA Act नं. 78 सन्. 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खैताराम जाधव</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 PCRA Act</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मत तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>27/03/18</u> को पेश हो।</p>	
27/03/18	<p><u>प्रार्थी वहील उपरिमत/विपार्थीगिनो के</u></p> <p><u>नोटिस तामील काम तामिल प्राप्त/इन्तजार</u></p> <p><u>होकर पत्रावली दिनांक 11/05/18 को पेश हो।</u></p>	
11/05/18	<p><u>पत्रावली आज न्याय कायदे कार समिपान</u></p> <p><u>2018 डेम्प होट काम पंचायत वायतु निमनज</u></p> <p><u>के रखी गई प्रार्थी वहील उपरिमत/प्रार्थी वहील</u></p> <p><u>की एडप्लीग करम लुनी गई, प्रार्थी के अधिकतर</u></p> <p><u>ने बताया की प्रार्थी को अपने घातेदारी खेले के</u></p> <p><u>चारे कर पन्डे नेषम स्थापित उरगना कावेरुड</u></p> <p><u>के इमलिग प्रार्थी का नेषमवनी कावेरुड स्वीकार</u></p> <p><u>किया जाइर नेषमवनी कावेरुड किया जावे। कल:</u></p> <p><u>प्रार्थी का नेषमवनी कावेरुड स्वीकार किया जाइर</u></p> <p><u>तदसीलकार गिडा को समिपान नियुक्त किया जाइर</u></p> <p><u>व प्रोवा दिया जाल है कि काय स्वम या कपने मरि</u></p>	

नम्बर गिरी भी भू समिपान निरिमत के प्रार्थी के घाते-
 दारी खेले की पन्डी नेषमवनी को डे कर समिपान खुलुड
 जमाउराइर डेरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर समिल पत्रावली
 डे, पत्रावली प्रेमल सुमार डे इज नम्बर के डे मरु दायिल
 फलर डे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, बायतु चिमनजी)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 164

दिनांक:- 11/05/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री राणाराम पुत्र चौखाराम जाति
जाट निवासी डुगरोणियों की ढाणी,
सवाउ पदमसिंह तहसील गिडा जिला
बाडमेर

1. श्रीमती इमरती पत्नी चौखाराम वगैरा 36
जातियान् जाट निवासीयान् डुगरोणियों की
ढाणी, सवाउ पदमसिंह तहसील गिडा जिला
बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 78/18

आदेश

मौजा डुगरोणियों की ढाणी पटवार हल्का सवाउ पदमसिंह के खेत खसरा नम्बर 773/50 रकबा 125.17 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत के चारों तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थी से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 11/05/2018

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 165-69
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा।
2. पटवारी हल्का सवाउ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री राणाराम पुत्र चौखाराम।
4. विप्रार्थी श्रीमती इमरती पत्नी चौखाराम वगैरा 36।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिडा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

वर्षात के मौसम में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाजा एवं विवाद बना रहता है।

21/01/21M